न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 215/2013 **दायरा दिनांक : 21.10.2013**

उनवान

1— राधा बल्लभ आत्मज मांगीलाल, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— पुष्पा बाई बेवा बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— गिर्राज प्रसाद आत्मज सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— पुरूषोत्तम आत्मज सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां मृतक कायम मुकामान :—

2/1— कमला बाई आत्मज पुरूषोत्तम, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2/2— लोकेश आत्मज पुरूषोत्तम, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2/3— भुवनेश आत्मज पुरूषोत्तम, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— गोरधन आत्मज सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— गुलाब बाई पुत्री सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— मुन्नी बाई पुत्री सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— इन्द्रा बाई पुत्री सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— गायत्री बाई पुत्री सूरजमल, जाति महाजन, निवासी बाचपा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8— नीतू आत्मज बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

9— रीना आत्मज बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

10— रानू आत्मज बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

11— राकेश आत्मज बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

12— गौरव आत्मज बृजमोहन, जाति महाजन, निवासी इन्द्रा कालोनी, छबडा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

13— सरपंच ग्राम पंचायत बापचा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

14— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री लक्ष्मीनारायण एवं श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 24/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था । कानूनन कब्जे के बिना रेस्पोडेंट वादीगण का वाद बाबत घोषणात्मक चलने योग्य नहीं है एवं बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक है । निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल नम्बर 12 दिनांक 23.06.58 खारिज करने में त्रुटि की है एवं विवादित आराजी रेस्पोडेंटगण के खाते दर्ज करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । खातेदार जानकीलाल की मृत्यु के बाद विवादित आराजी के मामले में नामान्तरकरण नम्बर 12 दिनांक 23.06.58 को अपीलांट क्रम 1 के पिता मांगीलाल व रेस्पोडेंटगण के पिता बृजमोहन के नाम 1/4, 1/4 अर्थात 1/2 भाग पर तस्दीक किया गया और 1/2 भाग पर सूरजमल के नाम तस्दीक किया गया है । रेस्पोडेंटगण के पिता सूरजमल के द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी इंतकाल नम्बर 12 दिनांक 23.06.58 को चुनौती नहीं दी गई है । कानूनन इतने लम्बे इन्द्राज व कब्जे को चेलेन्ज नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी कोई गौर नहीं किया गया है । विवादित आराजी पर अपीलांट के पूर्वजों की खातेदार सन् 58 से होना स्पष्ट है एवं कब्जा होना भी स्पष्ट है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण ने कब्जे के बाबत कोई गिरदावरी या दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जबकि प्रस्तुत जमाबदी से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर रेस्पोडेंटगण वादी के पिता सूरजमल का नाम दर्ज है एवं 1/4 हिस्से पर अपीलांट का नाम दर्ज

है एवं 1/4 हिस्से पर अपीलांट व उसके पुत्र पुत्रियों का नाम दर्ज है । ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की होना स्पष्ट है । सहखातेदारी की आराजी में किसी व्यक्ति विशेष को सहखातेदार का कब्जा नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय कानूनी प्रावधानों एवं साक्ष्य के विपरीत किया है बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं माना जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल नम्बर 12 के बारे में तनकी नम्बर 3 में यह मत प्रकट किया है कि इंतकाल नम्बर 12 बिना सहमति एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के बिना तस्दीक किया है जो काबिले खारिज है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2013 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने आर एल डब्ल्यू 2016(2) रेवेन्यु पेज 820 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

.....

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट ..... की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09. 2013 ..... रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा